23

परि० पृ० - 24
अ० उ० पृ० 22 (35)

राजस्थान सरकार
स्टेट मोटर गैराज विभाग

कमांक प. 4 (6)स्टे.मो.गै. / 03 जयपुर, दिनांक 10 अगस्त,2007

आदेश

इस विभाग द्वारा स्टेट मोटर गैराज एवं जिला पूलों द्वारा राजकीय वाहनों के उपयोग के संबंध में दिनांक 5.2.2004 को जारी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत वाहनों का सदुपयोग करने एवं मितव्ययता की दृष्टि से राजकीय वाहनों की लॉग बुक का नियमानुसार संधारण करने सम्बन्धी आदेश जारी किये गये थे, परन्तु इन निर्देशों की पूर्ण रूप से पालना नहीं होना प्रकाश में आया है । अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि राजकीय वाहनों के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण रूप से पालना सुनिश्चित की जावे :-

1. लॉग बुक भरते समय अधिकारी की यात्रा का पूर्ण विवरण दिया जाय अर्थात जहां जहां राजकीय वाहन को ले जाया गया है,उस स्थान का नाम स्पष्ट रूप से इन्द्राज किया जाय ।

2. लॉग बुक में यात्रा का प्रयोजन "राजकीय"अथवा "आफिसियल" अंकित नहीं कर,पूर्ण विवरण सहित प्रयोजन स्पष्ट रूप में अंकित किया जाय ।

3. लॉग बुक हमेशा वाहन चालक के पास वाहन में रहनी चाहिये और यात्रा प्रारम्भ करने से पूर्व वाहन की मीटर रीडिंग एवं यात्रा शुरू करने का समय लॉग बुक में स्पष्ट रूप से इन्द्राज किया जाय ।

4. माननीय मन्त्रीगण / आयोगों के अध्यक्षगण के निजी सचिव एवं संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त निर्देशों की पूर्ण पालना की जावे।

शासन सचिव